(b) Annual Report and Accounts of the Rashtriya Veda Vidya Pratish-than, New Delhi, for the year 1988-S9, together with the Auditors' Report on the Accounts.

(c) Review by Government on the working of the above Pratishthan.

(d) Statements giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above. [Placed in Library. See No. LTVt540/93].

III. (a) Annual Accounts of 'he Jamia Millia Islamia, New Delhi, for the year 1991-92 and the Audit Report thereon, under sub-section *(4)* of section 28 of Jamia Millia Islamia Act, 1988.

(b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library. See. No. LT-4411/93].

REPORT OF THE STANDING COM-MITTEE ON FINANCE

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA (Rajastnan): ...Madam, T lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Third Report of the Standing Com-mittee on Finance on the Public Debt (Amendment) Bill, 1991.

REPORT OF THE STANDING COM-MITTEE ON URBAN AND RURAL DEVELOPMENT

SHRI SHIVPRASAD CHANPURIA (Madhya Pradesh): Madam, I lay on the Table a copy (in nglish and Hindi) of the Second Report of the Standing Committee on Urban and Rural Development on the Constitution (Seventy-seventh Amen-dme t) Bill. 1992.

REPORTS OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITEES ON HOME AFFAIRS

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) महोदया, मैं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 1991 तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 1992 के संबंध में विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का तीसरा और चौथा प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) प्रस्तुत करता हूं ।

Recommendations of the Business Advisory Committee regarding Allocation of time for Disposal of Government Legislative *Business*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held on Thursday, the 19th August, 1993 has allotted time as follows for Government legislaive business:

Business	Time Allotted
1. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by the Lok Sabha:–	
(a) The Constitution (Seventy-seventh Amendment) Bill, 1992;	2 hours
(b) The Constitution (Eightieth Amendment) Bill, 1993	4 hours (To be discussed to-gether)
(c) The Representation of the People (Amendment) Bill, 1993	

Business	Time Allotted;
2. Consideration and return of the Jammu and Kashmir Appropriation (No. 2) Bill, 1993, as passed by the Lok Sabha.	3 hours (To be discussed together)
3. Discussion on the Resolution regarding further continuance of President's rule in the State of Jammu and Kashmir.	
4. Consideration and return of the following Bills as passed by the Lok Sabha:-	
(a) The Uttar Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1993.	4 hours (To be discussed together)
(b) The Madhya Pradesh Appropriation (No. 2) Bill, 1993.	
(c) The Rajasthan Appropr ation (No. 2) Bill, 1993.	
(d) The Himachal Pradesh Appropriation (No. 2, Bill, 1993.	
5 Consideration and return of the following Bills after they are passed by the Lok Sabha:-	
(a) The Appropriation (No. 3) Bill, 1993.	1 hour (To be discussed together)
(b) The Appropriation (No. 4) Bill, 1993.	
(c) The Appropriation (Railways) Bill	1 hour

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदया, मेरी एक अपील है । यह जो धर्म और राजनीति तथा लोक प्रतिनिधित्व कानून का विषय हैं, यह बड़ा भारी विषय है । इस पर चर्चा खुलकर होनी चाहिए । इस पर 4 घंटे का समय बहुत कम है, दो दिन होने चाहिए ।

We have to define secularism. We have to define communalism. We have to discuss so many things. So I requst that the Business Advisory Committee should review the tims allotted to these two Bills.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MFNISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA); Madani, I would like to say that representatives of all the (political parties come to the Business Advisory Committee meeting. It was after a discussion yesterday that the time was allotted. I think it is very unfair for the Members to come here now and challenge it.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): सदर साहिबा !

†قمر سکندر بخت : صدر صاحبہ

उपसभापति : क्या प्रिविलेज है ?

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस पर सदन की राय ली जाए । जिस तरह का शोर-शराबा देश में पैदा किया जा रहा है, उस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए ।

† [ ]Transliteation in Arabic Script.

उपसभापति : गौतम जी, आपने कहा ठीक है । जब समय आएगा तब देखेंगे । बोलिए दिग्विजय जी क्या प्रिविलेज का मामला है आपका ?

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदया, मैंने एक नोटिस विशेषाधिकार के हनन का दिया था . . (**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, यह इतना गंभीर मसला है कि इस पर दो दिन तक बहस होनी चाहिए . . (**व्यवधान**)

उपसभापति : आप काहे की बहस कर रहे हैं . . (**व्यवधान**) . . आप गलत जगह पर बहस कर रहे हैं । सुन लिया, आपकी बात हो गई । हमने आपकी बात नोट कर ली । अब दिग्विजय जी को बोलने दीजिए ।

RE QUESTION OF PRIVILEGE

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदय, यह विशेषाधिकार के हनन का मामला है जिसका नोटिस मैंने कल चेयरमेन साहब को दिया था । हमारे नेता श्री यशवंत सिन्हा के घर पर पुलिस के द्वारा सर्विलियेंस की जा रही है, उनके दिल्ली के मकान पर इसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ।

मैडम, यशवंत सिंहा जी के घर पर डी.टी.सी. के कर्मचारियों की एक बैठक हो रही थी और डी.टी.सी. के लोग . . (**व्यवधान**) . .

उपसभापति महोदय, अगर सरकार हमारे प्रिविलेज को इस तरह से स्कटल करना चाहती है तो हम नहीं बोलते हैं . . (**व्यवधान**) अल्वा जी, स्वामी जी, हम तो इन्हीं से परेशान हैं . . . (**व्यवधान**) . .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Sorry. T am sorry.

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त) : आपने जो सर्विलियेंस की बात की है, यशवंत सिन्हा का चेहरा तो हमको क्रिमिनल का चेहरा नजर नहीं आता . . (**व्यवधान**) . . किस सिलसिले में हो रहा है ?

شری سکندر بخت :۔ آپ نے جو سرویلینس کی بات کی ہے ۔ یشونت سنہا کا چہرہ تو ہمیں کرمنل کا چہرہ نظر نہیں آتا ۔ ۔ ۔ "مداخلت" ۔ ۔ ۔ کس سلسلہ میں ہو رہا ہے ۔

श्री दिग्विजय सिंह : कुछ दिन में आप पर होने वाला है । हो रहा होगा, आपको पता नहीं होगा ।

मैडम, उनके यहां डी.टी.सी. के कर्मचारियों की एक बैठक हो रही है थी जिसमें श्री रमेश चन्द्र पुनिया नाम का एक कर्मचारी भी शामिल था । मैडम, डी.टी.सी. के मैनेजर ने एक चिट्ठी लिखी दिल्ली पुलिस को कि क्या श्री रमेश चन्द पुनिया, श्री यशवंत सिन्हा जी के घर पर हुई बैठक में शामिल थे ? दिल्ली पुलिस का जो जवाब आया है वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा---

"Please refer to your letter No. MERl92l5044, dated 31.12.92 and 22.1.93 on the above subject. I am directed to inform you that on checking of record, it has been found that Mr. Ramesh Chand Punnia, Leader of D.T.C. Workers Union with 100/125 persons visited the residence of Sh. Yashwant Sinha (MP) at Teen Murti, Kothi No. 4 on 27.11.91 between 4.00 P.M. to 5.00 P.M."

उपसभापति महोदया, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब श्री यशवंत सिन्हा मंत्री नहीं रहे, उसी दिन से उनके घर से पुलिस की सारी व्यवस्था हटा ली गई थी और कोई सुरक्षा गार्ड उनके पास नहीं था । प्रधान मंत्री के निवास पर कौन आता है, कौन जाता है, 15 दिन के अन्दर इसका रिकार्ड खत्म कर दिया जाता है लेकिन 2 साल पहले श्री यशवंत सिन्हा के घर पर कौन आया, कौन गया , इसका रिकार्ड पुलिस मैंटेन करती है । तो हम सांसद लोग क्या अपने अधिकारों का इस्तेमाल अपने विचारों को रखने के अधिकार का इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं ? क्या सरकार बनाएगी कि यह सर्विलियेंस

† [ ]Transliteation in Arabic Script.